संख्या : 2209/ब्यूरो/1977

प्रेषक,

श्री भक्तिदेव मुखर्जी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) परिशिष्ट–1 में वर्णित सभी सरकारी कम्पनियां
(2) परिशिष्ट–2 में वर्णित सभी सांविधिक निगम
(3) में वर्णित सभी सहकारी समितियां।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 2 जून, 1977

महोदय,

शासन की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ उपक्रमों ने ऐसी गारन्टी प्राप्त की जिनका प्राविधान उपक्रम के हितों को ठीक से सुरक्षित करते नहीं पाये गये। जब इन गारन्टियों के सम्बन्ध में विवाद होने लगा और मामला शासन के विधि विभाग को संदर्भित किया गया तो उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि गारन्टी डीड के कुछ अंश उपक्रम के पक्ष में न होने के कारण यदि मामला न्यायालय में ले जाया जाय तो उपक्रम की विजय में संदेह है। यह स्थिति उपक्रमों के हित में नहीं है। चूंकि ऐसी गारन्टियां अकसर बड़ी–बड़ी धनराशि की होती है इसलिए शासन का विचार है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कदम न उठाया गया तो उपक्रमों को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। अतएव मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने उपक्रम के पक्ष में जो भी गारन्टी डीड प्राप्त करें उसका आलेख्य शासन के विधि विभाग से अनुमोदित करा लें। शासन के विधि विभाग में डीड तैयार करने तथा तत्सम्बन्धी कार्य को गवर्नमेन्ट कन्वेन्सर, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ द्वारा किया जाता है तथा इस कार्य के लिए शासन द्वारा निर्धारित दरों पर फीस भी चार्ज की जाती है।

भवदीय,
ह० भक्तिदेव मुखर्जी
उप सचिव।

संख्या–2209/(1)/ ब्यूरो/1977 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,
ह० भक्तिदेव मुखर्जी
उप सचिव।